



23/11/2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
भकारीशंकर पुत्र बंकरलाल जाति मेघवाल पत्नी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर	179/2021	GCMS No. 2021/878
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इन्लियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
23/11/2021	<p>वादी श्री <u>भकारीशंकर</u> पुत्र <u>बंकरलाल</u> जाति <u>मेघवाल</u> निवासी <u>पत्नी</u> द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत <u>पत्नी</u> में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत <u>2075</u> ग्राम <u>सि.डी.भाग</u> पटवार मण्डल <u>पत्नी</u> के खाता नम्बर <u>50</u> मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि <u>भकारीशंकर पुत्र बंकर</u> दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम <u>भकारीशंकर पुत्र बंकरलाल</u> है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. <u>965037533241</u> आधार नम्बर <u>965037533241</u> मतदाता पहचान पत्र <u>-</u> अन्य दस्तावेज <u>-</u> की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी <u>पत्नी</u> भू.अ.नि <u>483194</u> एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंशा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।</p>	
		
		 उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

764-766